निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 64 /प्रा0पत्र/18

राज0सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक,रसद विभाग झालावाड़

बनाम

01. कमल जैन, महात्मा गांधी कॉलोनी,भवानी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के सामने,झालरापाटन
02. राजेश (ड्राईवर व मालिक) गाड़ी, रामचन्द्र गडी के पीछे गिन्दोर तहसील झालरापाटन

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त वाहन मारूती ऑमनी आर जे 33 यू ए 1103, 01 घरेलू एसपीसीएल कम्पनी का गैस सिलेण्डर के साथ इलेक्ट्रिक मोटर तथा बांसूरी को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

श्री धीरज सिंह झाला अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांकः 08.08.2018

यह प्रा0पत्र प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 01.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्री के अवैध उपयोग रोकने के लिये झालरापाटन महात्मा गांधी कॉलोनी, भवानी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के सामने स्थित मकान पर पंहुचे, वक्त जांच मकान पर श्रीमति अंकिता मीणा पत्नि विजय मीणा उपस्थित मिली जिन्होने बताया कि किरायेदार कमल जैन द्वारा गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है, वक्त जांच राजेश(ड्राईवर व मालिक)द्वारा वाहन मारूती ऑमनी आर जे 33 यू ए 1103 में गैस रिफलिंग करवाई जा रही थी। जांच के दौरान मकान की तलाशी लेने पर वाहन मारूती ऑमनी आर जे 33 यूए 1103 तथा एक घरेलू एचपीसीएल कम्पनी का गैस सिलेण्डर के साथ रिफलिंग में काम में ली जा रही इलेक्ट्रिक मोटर एवं बांसूरी को सीज किया जाकर मेसर्स दुर्गादेवी एचपी गैस सर्विस के मैनेजर मनोज कुमार की सुपुर्दगी में दिये गये, जांच से स्पष्ट है कि उक्त द्वारा सामग्री का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक्र वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी 1,2 की और से अभिभाषक श्री धीरजसिंह झाला उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब प्रा0पत्र प्रस्तुत नही किया जाने का निवेदन किया जाकर बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई । पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहन में गैस भरकर आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 व दृवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधान संख्या 4 का उल्लघंन किया है। जब्तशुदा 01 एलपीजी गैस सिलेण्डर, विद्युत मोटर मय पाईप तथा एक मारूति वेन स आरजे 33 यूए 1103 को राजसात किया जावे। इस पर अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा व्यक्त किया कि मूल प्रकरण प्राथमिकी दर्ज होने से माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालरापाटन के यंहा विचाराधीन है,श्रीमान के यंहा विचाराधीन प्रकरण को ड्राप किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2018 को दौराने जांच झालरापाटन महात्मा गांधी कॉलोनी स्थित मकान में अवैध रूप से मारूति वेन सं आरजे 33 यूए 1103 में गैस रिफलिंग करने की कार्यवाही करने पर मकान के किरायेदार का भाग जाना व उक्त कार्यवाही उपरान्त प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग द्वारा पुलिस थाना झालावाड़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 2000 के प्रावधानों का उलघंन होने पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है व उक्त प्राथमिकी के परिणाम स्वरूप वाहन मारूती वेन सं0 आर जे 17 यूए 1103 व 01 एलपीजी गैस सिलेण्डर, विद्युत मोटर मय पाईप व बांसूरी जब्त है। प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज होने से प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन चल रहा हैं, चूंकि प्रकरण में जब्त एलपीजी सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना किसी प्राधिकृत स्वीकृति के अपने पास रखा जाकर गैस रिफलिंग किया जाना साबित है अप्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर

झालावाड़

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधान संख्या 3(1) (सी), 4(1)(ए) का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त जब्त सिलेण्डर को राजसात किया जाता है जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। जब्त वाहन व इलेक्ट्रिक मोटर एवं बांसूरी का अन्तिम निस्तारण सक्षम अधिकारिता रखने वाले माननीय न्यायालय के निर्णय अनुरूप होने से इस बाबत कोई टिप्पणी किया जाना विधि सम्मत नही है। अतः प्रकरण का इसी अनुरूप निस्तारण किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़